कानून

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण बोर्ड कानून

(संख्या एक, 2009)

धारा	धारा परिभाषा
2	'घरेलू काम' का अर्थ है घर का काम जैसे झाड़ू-पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना तथा अन्य शारीरिक काम जो 'मालिक' व 'कामगार' की आपसी सहमति द्वारा तय किया गया हो तथा 'कार्यस्थल' पर किया जाए। 'मालिक' शब्द का अर्थ घरेलू कामगार के संबंध में परिवार के मुखिया के रूप में नियंत्रण रखने वाले/व्यक्ति अथवा मैनेजर। 'कार्य स्थल' यानी रिहायशी बंगला, बाड़ा, मकान, फ्लैट, महल, कोठी या इस तरह की अन्य जगह या उसका हिस्सा जिसके किसी भी हिस्से में घरेलू काम किया जाता हो या करवाया जाता हो।
	बोर्ड का संविधान व कार्यसूची (राज्य व ज़िला)
3	राज्य सरकार- ज़िला घरेलू श्रम कल्याण बोर्ड
10	अ) घरेलू कामगारों का पंजीकरण ब) निम्न सुविधा प्रदान करने के लिए:- 1. दुर्घटना होने पर तुरंत सहायता 2. उपकृत बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग 3. उपकृत व उस पर आश्रित व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय खर्चा 4. उपकृत महिलाओं के लिए प्रजनन सुविधाएं (केवल दो बच्चों तक सीमित) 5. उपकृत की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस को अंत्येष्टि खर्चा 6. बोर्ड द्वारा तय की गई इस श्रेणी की अन्य सुविधाएं 7. अनुदान का संस्थापन व प्रशासन 8. अफ़सरों व मालिकों की नियुक्ति

घरेलू कामगारों के लिए उचित काम पर राष्ट्रीय गोष्ठी 15-16 जुलाई 2009, आईएचसी, नई दिल्ली के दौरान प्रचारित ***ऑल्टरनेटिव लॉ फोरम 2009, कम्पेरिटिव स्टडी ऑफ़ डीडब्ल्यू एक्टस,*** *बंगलुरू पर रूपान्तरित। यह कानून महाराष्ट्र में पारित हो चुका है।*